मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2018 (फाल्गुन 25, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 एवं 18) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 119 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 140 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. बहिर्गमन

संविदा कर्मचारियों की मांगों का निराकरण सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या 13 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर इंडियन नेश्नल काँग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क अधीन लंबित सूचनाओं में से 38 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है. ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा. तद्नुसार –

(1) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की उज्जैन संभाग की कृषि उपज मंडियों में गेहूं उपार्जन कार्य प्रारंभ किये जाने,

(2) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले की तहसील मऊगंज, हनुमना नईगढ़ी में रहवासियों को आवास योजना का लाभ न मिलने,

(3) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने,

(4) श्री दिनेश राय, सदस्य की पशुपालन प्रोत्साहन योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिलने,

(5) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य की कटनी जिले की कृषि उपज मंडी समिति में कटनी में किसानों को सुविधाओं का अभाव होने,

(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के अनेक हितग्राहियों के नाम बी.पी.एल. सूची से हटाए जाने,

(7) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य की ग्राम जौरा में नहरों का पानी बंद होने से परेशानी होने,

(8) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की प्रदेश में नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने,

(9) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की खातेगांव तहसील के नेमावर में शवदाह गृह से प्रदूषण होने,

(10) श्री गोवर्धन उपाध्याय, सदस्य की सिरोंज क्षेत्र के सुगनाखेड़ी पर दो पहाड़ियों के बीच तालाब निर्माण किये जाने,

(11) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के बड़ौदा में खेल स्टेडियम निर्माण किए जाने,

(12) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त कर्मचारियों के मानदेय निर्धारित करने,

(13) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले के बस स्टैण्ड के समीप शराब दुकानों को न हटाये जाने,
(14) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की श्योपुर जिले की चम्बल नहर से सिंचाई की व्यवस्था कराये जाने,
(15) श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य की सीहोर जिले के ग्राम मुरावर स्थित नदी पर पुल का निर्माण न किये जाने,
(16) श्री कालूसिंह ठाकुर, सदस्य की धरमपुरी क्षेत्र के नालछा एवं बगड़ी स्थित विद्यालय का उन्नयन न किये जाने,
(17) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य की शुजालपुर एवं कालापीपल क्षेत्रांतर्गत काले हिरणों से फसलों को नुकसान होने,
(18) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की इन्दरगढ़ जिला दतिया में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करने,
(19) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य की छतरपुर जिले में रसोईयों को कम मानदेय दिये जाने,
(20) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य की खरगोन जिले के खरगोन-देवली मार्ग का डामरीकरण न किये जाने,
(21) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य की रीवा के वार्ड 16 में नाले का निर्माण किये जाने,
(22) श्री विजयपाल सिंह, सदस्य की सोहागपुर क्षेत्रान्तर्गत पुल निर्माण करने,
(23) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य की बैनगंगा नदी के उदगमित स्थान के संबंध में भ्रामक जानकारी दी जाने,
(24) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की रायसेन जिले के वन भूमि को राजस्व भूमि बताये जाने,
(25) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य की आलोट स्थित महाविद्यालय में पद की कमी होने,
(26) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की खरगोन जिले के काटुकट-ओखला मार्ग का डामरीकरण न किये जाने,
(27) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पार्वती नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने,
(28) श्री के. डी. देशमुख, सदस्य की कटंनी के बोरीखेड़ा तालाब की मेन केनाल खराब होने से सिंचाई की समस्या होने,
(29) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की दमोह जिले के तेन्दुखेड़ा विकासखण्ड ग्राम पटी मोहरा में तालाब निर्माण की मांग करने,
(30) श्री घनश्याम पिरोनियां, सदस्य की भावांतर योजना का लाभ दिए जाने,
(31) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के आदिवासी विकासखण्ड चौरई में इण्डेन गैस एजेंसी द्वारा राशि वसूली जाने,
(32) श्री नारायण सिंह पवार, सदस्य की राजगढ़ जिले में ग्रामीण विकास कार्यों की गति कम होने,
(33) श्री जयवर्धन सिंह, सदस्य की गुना जिले की कृषि उपज मण्डी में किसानों को कम राशि का भुगतान होने,
(34) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य की मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर द्वारा कर्मचारियों से जबरन बिल की वसूली की जाने,
(35) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य की प्रदेश में नि:शुल्क शिक्षा योजना में फीस भुगतान की प्रक्रिया सरल की जाने,
(36) श्री सुदेश राय, सदस्य की जिला सीहोर के ग्राम चरनाल, तहसील श्यामपुर के शासकीय हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,
(37) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले की ग्राम पंचायत गनिगवां में सामान्य वर्ग को काम पर न लिये जाने,
(38) श्री जितू पटवारी, सदस्य की गुना जिले की ग्राम पंचायत आवन से बहारपुर तक मुख्यमंत्री सड़क का निर्माण न होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) प्रदेश में दुष्कर्म की शिकार छात्राओं द्वारा आत्महत्या की जाना

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि माननीय गृह मंत्री के जिले सागर के खुरई में दिनांक 15.3.2018 को एक बेटी ने दुष्कर्म की शिकार होकर उसने आत्महत्या कर ली है. प्रदेश में 5 दिन में तीन बेटियों ने दुष्कर्म के कारण आत्महत्या कर ली है. सरकार दुष्कर्म के आरोपियों पर कठोर कार्यवाही करे, ताकि प्रदेश की बालिकाएं और छात्राएं सुरक्षित रह सकें.

(2) मऊगंज के गाड़ा बांध में एकपकरा के निवासी का डूब जाना

श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि मऊगंज विधानसभा क्षेत्रांतर्गत गाड़ा बांध में एकपकरा निवासी अय्यूब खान के डूबने से मौत हो गई है. 3 दिन होने के बावजूद अभी तक उनकी लाश नहीं मिली है. शासन, प्रशासन द्वारा लाश को ढूंढने की व्यवस्था की जाये एवं राहत राशि प्रदान की जाये.

(3) बहोरीबंद में गांव-गांव में शराब बिकना

कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र में शराब गांव-गांव में बिक रही है और जब महिलाएं विरोध करती हैं तो पुलिस उनके खिलाफ 107/16 का मुकदमा कायम कर रही है. माननीय गृह मंत्री इस विषय पर ध्यान दें.

(4) सागर मेडीकल कॉलेज में बने ऑडिटोरियम में समुचित व्यवस्था की जाना

श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य ने उल्लेख किया कि सागर में मेडीकल कॉलेज ऑडिटोरियम सहित बनकर तैयार हो गया है, लेकिन उसमें सिटिंग अरेन्जमेंट, एयर कंडीशनिंग और इकोसिस्टम नहीं लग पाने की वजह से वह डीफंक्ट पड़ा है. मेरा अनुरोध है कि तत्संबंधी3.22 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को शासन अविलम्ब स्वीकृति प्रदान करे.

(5) मंदसौर में मण्डी जी के बाग से बालक का लापता होना

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य ने उल्लेख किया कि मंदसौर शहर में मण्डी जी के बाग के पास से एक बालक लगभग 3-4 दिनों से लापता है. उसके परिवार के सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है कि उसका अपहरण हो गया है. पुलिस तथा प्रशासन अभी तक उसका पता नहीं लगा पाया है.

(6) विधान सभा क्षेत्र जौरा के कैलाश नगर स्थित अलोपी शंकर मंदिर के पास खनन किया जाना

श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य ने उल्लेख किया कि जौरा विधानसभा क्षेत्र के कैलाश नगर स्थित अलोपी शंकर मन्दिर में हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं. राजस्व विभाग ने खनन का ठेका दे दिया है. अवैध खनन होता रहा तो मन्दिर नष्ट हो जायेगा. शहरवासियों एवं भक्तों में बहुत आक्रोश व्याप्त है. कृपया खनन कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाए.

(7) नीमच में ट्रामा सेन्टर एवं इक्यूपमेंट तथा स्टाफ की पूर्ति किया जाना

श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य ने उल्लेख किया कि नीमच में ट्रामा सेन्टर बनकर तैयार है, उसमें इक्यूपमेंट और स्टाफ की पूर्ति की जाये. इसका नाम स्वर्गीय खुमान सिंह शिवाजी (माननीय भूतपूर्व विधायक) के नाम पर रखा जाये.

(8) पुष्पराजगढ़ में जनपद पंचायत जैतहरी में गूजर नाले में पुलिया बनाई जाना

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य ने उल्लेख किया कि पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढलवां उमरिया, जनपत पंचायत जैतहरी में एक गूजर नाला है, वहां पर जो छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली नदी है. उसमें पुलिया बनाई जाये.

(9) पाटन में भीषण जल संकट पैदा होना

श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य ने उल्लेख किया कि पाटन विधान सभा क्षेत्र में भीषण जल संकट पैदा होने से गांव के बोर 30 से 60 फुट ज्यादा न होने से बोरों का जल स्तर नीचे चला गया है जिससे बोर सूख गये है, वहां नये बोर कराए जाएं.

(10) पथरिया के विकासखण्ड बटियागढ़ में भीषण जल संकट होना

श्री लखन पटेल, सदस्य ने उल्लेख किया कि पथरिया विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड बटियागढ़ में भीषण जल संकट है. प्रत्येक गांव में लगभग 2 सबमर्सिबल पम्प उपलब्ध कराये जाएं.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 पटल पर रखा.

(2) श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का पंचदश वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2016-17 पटल पर रखा.

6. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में 10 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम 2 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जायेगा. लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जायेगी. उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा. तद्नुसार -

(1) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य ने बालाघाट जिले में नियमित रूप से बिजली का प्रदाय न किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री लखन पटेल एवं श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्यगण ने दमोह जिले के ग्राम गीदन में लौह संयंत्र स्थापित न किये जाने की ओर उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ने वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (3) से (10) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

(3) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की दमोह जिले में वन भूमि को राजस्व भूमि में हस्तांतरित न किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

(4) श्री वेलसिंह भूरिया, सदस्य की धार जिले के श्री राजेन्द्र सूरी साख सहकारी संस्था राजगढ़ के संचालक मंडल द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री सहकारिता का वक्तव्य.

(5) डॉ. मोहन यादव, सदस्य की उज्जैन की विनोद मिल के कर्मचारियों/मजदूरों के स्वत्वों का भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य.

(6) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य की सीधी जिले में बी.आर.जी.एफ.योजना के तहत कर्मचारियों को वेतन न मिलने संबंधी सूचना तथा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(7) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के आसन नदी पर बन रहे बांध के डूब प्रभावितों का व्यवस्थापन न किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(8) श्री मधु भगत, सदस्य की बालाघाट जिले के लामता में नवीन महाविद्यालय खोले जाने की मांग किये जाने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(9) श्री आरिफ अकील, सदस्य की प्रदेश के थानों में महिला शौचालय न होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(10) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल, सदस्य की बैतूल जिला मुख्यालय पर मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा राशि जमा न किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति ने याचिका समिति का याचिकाओं से संबंधित इकसठवां, बासठवां एवं तिरेसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(2) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(3) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(4) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(5) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(6) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(7) कुंवर हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(8) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(9) श्री कैलाश चावला (जिला-नीमच)
(10) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(11) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(12) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(13) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(14) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(15) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(16) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(17) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(18) श्री नीलांशु चतुर्वेदी (जिला-सतना)
(19) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(20) श्रीमती ऊषा चौधरी (जिला-सतना)
(21) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(22) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
(23) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(24) श्री विजयपाल सिंह (जिला-भोपाल शहर)
(25) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(26) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(27) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(28) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(29) श्री नारायण सिंह पँवार (जिला-राजगढ़)
(30) श्री गिरीश भण्डारी (जिला-राजगढ़)
(31) श्री गोवर्धन उपाध्याय (जिला-विदिशा)
(32) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(33) श्री मथुरालाल (जिला-रतलाम)
(34) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(35) डॉ. कैलाश जाटव (जिला-नरसिंहपुर)
(36) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
(37) श्री ठाकुरदास नागवंशी (जिला-होशंगाबाद)
(38) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सतना)
(39) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)
(40) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मन्दसौर)

(41) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(42) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(43) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(44) श्री रामप्यारे कुलस्ते (जिला-मण्डला)
(45) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(46) श्री महेन्द्र सिंह बागरी (जिला-पन्ना)
(47) श्री दीवान सिंह पटेल (जिला-बड़वानी)
(48) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(49) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(50) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(51) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(52) श्री जयवर्द्धन सिंह (जिला-गुना)
(53) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)

9. वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (पूर्वानुबद्ध)

(7) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को-

अनुदान संख्या – 8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए एक हजार छह सौ तीस करोड़, सोलह लाख, इक्कीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए पचपन करोड़, इकहत्तर लाख, बासठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए तीन सौ सात करोड़, पैंसठ लाख, बावन हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए दो हजार तीन सौ सोलह करोड़, बहत्तर लाख, पचानवे हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)

सभापति महोदय (श्री कैलाश चावला) पीठासीन हुए.

(2) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल
(3) डॉ. गोविन्द सिंह
(4) श्री इन्दर सिंह परमार

10. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होना

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि आज भोजनावकाश नहीं होगा. भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

11. वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(5) श्री रजनीश हरवंश सिंह
(6) श्री रामलाल रौतेल
(7) श्री सुखेन्द्र सिंह
(8) डॉ. कैलाश जाटव

(9) श्री यादवेन्द्र सिंह
(10) श्री दुर्गालाल विजय

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(11) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(12) श्री बहादुर सिंह चौहान

सभापति महोदय (श्री ओमप्रकाश सखलेचा) पीठासीन हुए.

(13) श्रीमती झूमा सोलंकी
(14) श्रीमती शीला त्यागी
(15) श्री सूबेदार सिंह रजौधा
(16) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
(17) श्री दिनेश राय
(18) श्रीमती ऊषा चौधरी
(19) श्री आर.डी. प्रजापति
(20) श्री शैलेन्द्र पटेल
(21) कुंवर विक्रम सिंह

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(22) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(23) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(24) श्री भारत सिंह कुशवाह
(25) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(8) श्रीमती अर्चना चिटनिस, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 55 महिला एवं बाल विकास के लिए चार हजार आठ सौ पैंतीस करोड़, तिरासी लाख, इकतालीस हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री जयवर्द्धन सिंह

12. अध्यक्षीय घोषणा

खाद्य विभाग की चर्चा उपरान्त अशासकीय संकल्प लिए जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के संपादन के लिए नियत हैं. परंतु आज की कार्यसूची में उल्लेखित खाद्य विभाग की मांगों पर चर्चा होने के उपरांत अशासकीय कार्य लिया जाएगा.

सभापति महोदय (डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.

13. वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(2) श्री इन्दर सिंह परमार
(3) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
(4) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर
(5) श्री आर.डी. प्रजापति
(6) श्री यादवेन्द्र सिंह
(7) श्री दिनेश राय
(8) श्री शैलेन्द्र पटेल
(9) श्री ओमकार सिंह मरकाम

श्रीमती अर्चना चिटनिस, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(9) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक हजार छह सौ पैंतीस करोड़, चौंतीस लाख, इक्कीस हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री शैलेन्द्र पटेल
(2) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(3) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे
(4) श्री दिनेश राय
(5) श्री सुखेन्द्र सिंह
(6) श्री यादवेन्द्र सिंह
(7) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)
(8) श्री सुन्दरलाल तिवारी

श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

14. शासकीय वक्तव्य

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखल रहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम, 1970 में संशोधन भोपाल मर्जर एग्रीमेंट से उत्पन्न विषय पर निर्देश तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापितों के पुर्नवास के संबंध में राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया.

15. अशासकीय संकल्प

(1) श्री दिनेश राय, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि "सदन का यह मत है कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा विसर्जित ठोस अपशिष्टों का निपटान न करने वाली इकाइयों पर कठोरतम कार्यवाही की जाए.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.

(2) सभापति महोदय ने सदन को सूचित किया कि श्री रामलल्लू वैश्य, सदस्य के अनुरोध पर "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश की पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में शामिल वैसवार जाति को भारत सरकार की पिछड़ा वर्ग जाति की अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा की जाए.". संबंधी अशासकीय संकल्प को अगले दिनांक में ले लिया जाए.

(3) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जिस प्रकार ट्रेक्टर से दुर्घटना होने पर बीमा क्लेम दिया जाता है उसी प्रकार ट्रेक्टर से चलित सहायक यंत्रों से दुर्घटना होने की दशा में बीमा क्लेम दिया जाए.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.

16. नियम-52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा

श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2018 को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्रमांक 484) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चर्चा प्रारम्भ की गई.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(2) कुंवर विक्रम सिंह
(3) श्री सुखेन्द्र सिंह

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने उत्तर दिया.

17. बहिर्गमन

सर्वश्री सुंदरलाल तिवारी, श्री सुखेन्द्र सिंह एवं श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्यगण द्वारा नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर के सदन से बहिर्गमन किया.

अपराह्न 7.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 2018 (29 फाल्गुन, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 16 मार्च, 2018